भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या1003

दिनांक 04.03.2015/13 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

दिल्ली में गिरजाघरों और इसाई स्कूलों पर हमले

1003. डॉ0 टी.एन. सीमाः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के विभिन्न गिरजाघरों और इसाई स्कूलों पर हमलों के संबंध में सरकार द्वारा कराई जा रही जांच का ब्यौरा क्या है और दोषियों/बदमाशों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;
(ख) क्या सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर चलाए जा रहे विद्वेष अभियान, विद्वेष की राजनीति और उनके विरुद्ध हिंसा का वातावरण पैदा करने की प्रक्रिया के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सहित देश की मीडिया में आई खबरों पर ध्यान दिया है जिनसे बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक विद्वेष फैल सकता है जो हमारे देश की अखंडता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश के अल्पसंख्यकों के मन से डर दूर करने हेतु क्या-क्या अनिवार्य कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) दिल्ली पुलिस द्वारा की गई जांच/कार्रवाई का घटना-वार ब्यौरा निम्नानुसार है: -

<u>दिनांक 01.12.2014 को सेंट स्टीफन चर्च, दिलशाद गार्डन में आग लगने की घटना:</u> दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि पुलिस स्टेशन जी.टी.बी. एन्क्लेव, दिल्ली में आईपीसी की धारा 436 और 295 के तहत एफआईआर सं. 770/2014 के द्वारा एक मामला दर्ज किया गया था। पूर्वी दिल्ली से चर्च में आग लगने की घटना के मामले की तेजी से जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है।

<u>दिनांक 06.12.2014 को जसोला चर्च की खिड़की का कांच तोड़ना</u>:दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच की थी और यह पाया था कि निर्माण क्षेत्र में खेल रहे कुछ बच्चे नजदीक के नाले में पत्थर फेंक रहे थे और ऐसे एक पत्थर से दुर्घटनावश चर्च की खिड़की टूट गई। जांच में किसी आपराधिक कृत्य का पता नहीं चला है और इस संबंध में सरिता विहार पुलिस स्टेशन में दिनांक 07.12.2014 को डीडी संख्या 3ए के द्वारा ब्यौरे रिकार्ड किए गए हैं।

दिनांक 03.01.2015 को सेक्टर-6, रोहिणी में रिसरेक्शन चर्च में आग लगने की घटना:दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि उनके अधिकारियों ने घटना-स्थल का निरीक्षण किया था और चर्च के पदाधिकारियों की उपस्थिति में सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की गई थी। एफएसएल दल ने भी घटना-स्थल का दौरा किया और प्रदर्श एकत्रित किए। एफएसएल रोहिणी के विशेषज्ञों, अग्निशमन और विद्युत निरीक्षक की राय के अनुसार यह पाया गया है कि शार्ट सर्किट के कारण अधिक उष्मा की वजह से बिजली के तारों को पिघल जाने की वजह से आग लगी थी।

दिनांक 14.01.2015 को विकास पुरी चर्च में तोड़-फोड़: दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि विकासपुरी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 295/427/34 के तहत दिनांक 14.01.2015 को एफआईआर सं. 48/15 के द्वारा एक मामला दर्ज किया गया था। पूरी जांच करने के बाद, दिल्ली पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन व्यक्तियों से की गई पूछताछ के दौरान, पता चला है कि ये व्यक्ति अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के हैं और शराब के अत्यधिक नशे के कारण उन्होंने यह अपराध किया। इस मामले में को ई उग्रवादी/अतिवादी तत्व शामिल नहीं था।

दिनांक 02.02.2015 को सेंट अलफांसो चर्च, वसंत कुंज में चोरी: दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 457/380/295 के तहत एफआईआर सं. 26/2015 के द्वारा एक मामला दर्ज किया गया था। सीएफएसएल (सीबीआई) के दल ने घटनास्थल का दौरा किया है और घटनास्थल से सात चां स प्रिंट लिए हैं। जांच के दौरान, चर्च के रसोइया और फादर के बयान रिकार्ड किए गए हैं और यह मामला रात में सेंधमारी का पाया गया। इस मामले के दोषी व्यक्तियों को पकड़ने और चोरी किए गए सामान की बरामदगी के लिए एसएचओ/वसंत कुंज (दक्षिण) और निरीक्षक विशेष स्टाफ/दक्षिणी जिला के पर्यवेक्षण में अनेक दल बनाए गए हैं।

दिनांक 13.02.2015 को होली चाइल्ड एक्जिलियम स्कूल, वसंत विहार में रात्रि में सेंधमारी: दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि स्थानीय पुलिस तुरंत घटना स्थल पर गई और पाया कि स्कूल के प्रधानाचार्य के कार्यालय और स्वागत कक्ष में किसी ने चोरी की है। लगभग 12000/- रु. की नगदी और छात्रों से जब्त किए गए कुछ मोबाइल फोन और छात्रों के पिग्गी बैंक से कुछ करेंसी नोट गायब पाए गए । परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे उखड़े हुए पाए गए। सीएफएसएल (सीबीआई) दल ने घटना स्थल का दौरा किया और घटना स्थल से चांस प्रिंट और फोटोग्राफ लिए। इस संबंध में वसंत विहार पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 457/380/34 के अंतर्गत एफआईआर संख्या 175/2015 द्वारा एक मामला दर्ज किया गया था और जांच आरंभ की ग ई। जांच के दौरान, कुछ संदिग्धों से पूछताछ की गई और जांच में दक्षिणी जिले के विशेष कार्य बल और विशेष स्टाफ को शामिल किया गया है।

(ख) से (ग): दिल्ली पुलिस को धार्मिक स्थलों के आस-पास बलों की अधिक तैनाती, संवेदनशील क्षेत्रों में गहन गश्त, सीसीटीवी कैमरे लगाना आदि सुनिश्चित करने के संबंध में उचित अनुदेश दिए गए थे। दिल्ली पुलिस से यह भी कहा गया है कि वह इन मामलों में दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए यथाशीघ्र हर संभव कदम उठाए।

दोषियों को पकड़ने तथा राजधानी में स्थित धार्मिक संस्थाओं/चर्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(क) सभी गिरजाघरों और अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित क्रिश्चियन स्कूलों की पहचान की गई है और उनके सुरक्षा प्रबंधों की जांच की गई है।

(ख) इन चर्चों को एक मानचित्र पर बताया/दर्शाया गया है ताकि इनको समग्र रूप से देखा जा सके।

(ग) सभी संबंधित अधिकारियों, विशेषकर संबंधित पुलिस उपायुक्तों और एसएचओ को इन संस्थाओं/स्थलों की सुरक्षा की देखरेख करने के निदेश दिए गए हैं।

(घ) सुरक्षा बढ़ाने की दृष्टि से गिरजाघरों/मिशनरी स्कूलों के आसपास पीसीआर वैन, ईआरवी और मोटरसाइकिल गश्त तैनात की गई हैं। सभी संवेदनशील स्थलों पर रात्रि के समय स्थिर तैनाती की जाती है।

(ङ) दिल्ली में कुल 240 गिरजाघर और इसाइयों द्वारा चलाए जा रहे 91 स्कूल हैं। पुलिस उपायुक्त और पुलिस थाना स्टाफ को इन गिरजाघरों/मिशनरी स्कूलों का औचक दौरा करने का निदेश भी दिया गया है।

(च) इन संस्थाओं के निदेशकों और प्रबंधन से इन स्थानों की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरे लगाने और गार्ड तैनात करने का अनुरोध किया गया है। वर्तमान में 161 गिरजाघरों और 69 स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। 54 गिरजाघरों और 15 स्कूलों में पुलिस के अनुरोध पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

(छ) इन धार्मिक स्थलों के समन्वयकों के संपर्क नम्बर संबंधित पुलिस थाना स्टाफ को दिए गए हैं।

(ज) समुचित गश्त सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी क्षेत्राधिकारियों को निदेश दिया गया है कि वे गश्त स्टाफ द्वारा आवश्यक प्रविष्टियां किए जाने हेतु प्रत्येक गिरजाघर और इसाई मिशनरी स्कूलों में एक आगन्तुक रजिस्टर रखें।

(झ) स्थानीय स्रोतों को प्रेरित किया गया है कि वे इस प्रकार के शरारतीपूर्ण कार्यों की पहले ही जानकारी प्रदान करें।

(ञ) किसी भी संस्थान अथवा स्कूल आदि से संबंधित समस्याएं पोस्ट करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा एक नया फेसबुक पेज "माइनॉरिटी ब्रदरेन" बनाया गया है।

(ट) अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं के निराकरण के लिए पुलिस उपायुक्त स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया है।

(ठ) गिरजाघरों और अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए उठाए गए उपर्युक्त कदमों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से मीडिया के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है।

भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं। इसलिए राज्यों में धार्मिक स्थलों पर हमलों सहित कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों को दर्ज करने तथा अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें कानूनों के मौजूदा उपबंधों के अंतर्गत धर्म से संबंधित अपराधों से निपटने में सक्षम हैं। तथापि, केन्द्र सरकार ने वर्ष 2008 में साम्प्रदायिक सौहार्द दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ साम्प्रदायिक हिंसा के कारण उत्पन्न हुई स्थिति से निपटने के लिए लागू की जाने वाली स्थायी संचालन प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं।

****